न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 04/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/12

प्रार्थी:—

नेमीचन्द सिंघवी पुत्र सोहनराज सिंघवी जाति जैन निवासी बगडी नगर तहसील सोजत जिला पाली हाल निवासी 34 मामूलपेट बैंगलोर 560053

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. सीतादेवी पत्नी चम्पालाल जाति कलाल (मेवाडा) निवासी कलालों का बास बगडी नगर तहसील सोजत
2. ओमप्रकाश उर्फ कालूराम पुत्र चम्पालाल जाति कलाल (मेवाडा) निवासी कलालों का बास बगड़ी नगर तहसील सोजत बहैसियत आम मुख्त्यार सीतादेवी पत्नी चम्पालाल निवासी कलालों का बास बगडी नगर तहसील सोजत
3. सरपंच ग्राम पंचायत बगडी नगर जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ओ.पी.मेहता।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री किशन सोनी।

—: निर्णय :—

दिनांक : 30/06/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत बगडी नगर द्वारा मिसल संख्या 11 दिनांक 22.05.1987 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 37 दिनांक 13.08.1987 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्त की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम बगडीनगर में श्री जैन सेवा समाज के नाम की संस्था का पुराना कब्जा सुदा भूमि है, जिस पर उनकी धर्मशाला है, जिसका पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 23 दिनांक 20.03.1974 के द्वारा पट्टा संख्या 16 जारी किया गया, जिसके पडौस उत्तर दिशा में बगडी से सोजत रोड जाने वाली सडक, दक्षिण दिशा में लाखोटिया जाव व दरवाजा, पूर्व दिशा में वेटनरी अस्पताल व छतरिया तथा पश्चिम दिशा में अस्पताल स्थित है। उक्त पट्टे की भूमि के एक भाग के भूखण्ड पर रेन बसेरा बनाने के लिये तथा एक भूखण्ड अन्न क्षेत्र हेतु हिन्दू

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सेवा मण्डल एवं कृषि भवन के लिये जैन समाज को आवंटित की गयी। उपरोक्त पट्टे की सम्पूर्ण भूमि श्री जैन सेवा समाज ट्रस्ट में निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 ने संस्था से कर्वड भूमि का कूटरचित तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 3 से जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। उक्त पट्टे के सम्बन्ध में तत्कालीन कार्यवाहक सरपंच मोतीलाल ने भी बताया कि पट्टे पर उनके हस्ताक्षर नहीं है और ग्राम पंचायत द्वारा कभी पट्टा जारी नहीं किया गया। ग्राम पंचायत में भी जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड उपलब्ध नहीं है। साथ ही पट्टे की भूमि का मूल्य 113 रूपये रसीद संख्या 99 दिनांक 22.05.1987 को जमा होने का इन्द्राज है, लेकिन ग्राम पंचायत में दिनांक 22.05.1987 को रसीद संखय 99 दर्ज ही नहीं है और न ही ग्राम पंचायत की रेकर्ड बही में दर्ज है। ग्राम पंचायत ने श्री जैन समाज समाज संस्था के पक्ष में जारी पट्टे की भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया और पट्टे में भी कांट–छांट है, पट्टा कूटरचित है। इसलिये जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानी में अंकित तथ्यों को साबित करने का भार प्रार्थी का होता है। प्रार्थी प्रकरण में किस हैसियत से आये है, क्या यह इनकी खुद की सम्पति है, क्या यह संस्था की ओर से है, यदि हां तो संस्था में किस पद पर है, कार्यकारणी में ये नियुक्त है अथवा नहीं ? यह कही पर भी अंकित नहीं है। प्रार्थी जिस पट्टा संख्या .16 का कथन कर रहे है वह पट्टा न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2017 को खारिज हो चुका है, तो प्रार्थी उक्त भूमि के सम्बन्ध में किस हैसियत से जैर निगरानी पेश कर रहे है और संस्था द्वारा बगडीनगर में कौन कौनसे कार्य किये गये यह भी स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी ने अपने कब्जे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। प्रार्थी जब यह निगरानी प्रस्तुत कर रहे है उस समय प्रार्थी का पट्टा अस्तित्व में नहीं था। ग्राम पंचायत में रेकर्ड नहीं है तो इससे यह साबित नहीं होता कि जैर निगरानी पट्टे फर्जी है। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के जरिये पट्टा संख्या 3 को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा है जबकि जैर निगरानी पट्टा संख्या 37 है। पूर्व कार्यवाहक सरपंच मोतीलाल के अपने कथन के सम्बन्ध में न तो कोई शपथपत्र है और न ही उनके बयान है। जैर निगरानी पट्टे में कोई कांट–छांट नहीं है। जैर निगरानी पट्टे की राशि जरिये रसीद संख्या 99 दिनांक 22.07.1987 के जरिये जमा करवायी गयी जबकि प्रार्थी उक्त राशि को रसीद दिनांक 22.05.1987 को होना बता रहे है, जो कि गलत तथ्य है। ग्राम पंचायत ने मुझ अप्रार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति, रैन बसेरा, अन्न क्षेत्र कृषि भवन जलदाय विभाग आदि को पट्टा जारी कर रखा है। प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका की जानकारी दिनांक 13.05.2023 को होना बताया है, जो कि गलत है क्योंकि इस दिनांक से पूर्व ही संस्था की बैठक के जरिये जमीन का बेचाण किया और जैर आराज़ी का विभिन्न न्यायालयों में वाद भी विचाराधीन रहे, ऐसी स्थिति में इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि प्रार्थी को पट्टे की जानकारी तत्समय नहीं रही हो। इसलिये जैर निगरानी याचिका पूर्णतया म्याद बाहर होने एवं बिना विधिक आधारों के होने से खारिज फरमावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत बगडी नगर द्वारा मिसल संख्या 11 दिनांक 22.05.1987 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 37 दिनांक 13.08.1987 के विरूद्ध पेश की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में सर्वप्रथम हम प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र के निर्णय में उचित समझते है कि उक्त आवेदन व शपथ पत्र अखंडित है। अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टे की जानकारी प्रार्थी को पूर्व में हो चुकी थी, परन्तु प्रार्थी ने अप्रत्याशित विलम्ब के पश्चात जैर निगरानी याचिका पेश की जो कि म्याद बाहर है, जिसकी ताईद में न्यायालय हाजा के निर्णित प्रकरण संख्या 70/16, सिविल न्यायालय, सोजत के प्रकरण संख्या 32/17, संस्था के रजिस्ट्रेशन दिनांक 14.08.19 की प्रति पेश की। अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी को जैर निगरानी पट्ट की जानकारी 13.05.2023 को हुई तथा न्यायालय हाजा के निर्णित प्रकरण संख्या 70/16 की जानकारी प्रार्थी को नहीं हुई और न ही इसमें नोटिस प्रार्थी को तामिल हुये, सिविल न्यायालय सोजत के प्रकरणों में प्रार्थी पक्षकार था परन्तु उन प्रकरणों में प्रार्थी के कहीं पर भी हस्ताक्षर नहीं है और न ही उनकी ओर से अधिवक्ता नियुक्त है, केवल संस्था के पदाधिकारी, जो संस्था से विपरीत हित रखते है वो ही उपस्थित हुये है। साथ ही संस्था को भीकमचंद तथा अशोक कोठारी ने रजिस्टर्ड करवाया, उसमें प्रार्थी का कोई भूमिका नहीं है, उन्होनें मुझे सदस्य बनाया है तो प्रार्थी उसके लिए बाध्य नहीं है। इसलिये प्रार्थी को जैर निगरानी पट्टे की तथ्यों का जानकारी नहीं हुई और जब ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया गया हो, तो वहां पर समयसीमा बाध्यकारी नहीं होती है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court Chimna lal vs State of Rajasthan and others के अनुसार When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like ; (i) when there is fraud played by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Orders are against the public interest; (iv) the orders are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the provisions of the Act by the authorities; and (vi) void orders or the orders are void ab initio being against the public policy or otherwise. The common law doctrine of public policy can be enforced wherever an action affects/offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of cases, revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brouth to their notice. इसी प्रकार 2018(2)DNJ (Raj.) 497 Usha Jugtawat vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector (Land

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Conversion) Jodhpur & Ors. में यह यह उल्लेख किया गया कि No limitation for exercising the reisional jurisdiction if pattas were issued in illegal manner and committing fraud. साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) DNJ 443 Looni Devi & 10 Ors. vs State of Rajasthan & Ors. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Allotment obtained by playing fraud is void and no limitation for setting aside of such void allotment." राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार जब किसी अधिनियम में कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, तो वह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा वर्णित 6 प्रकार की कार्रवाई को अवैध माना एवं इस प्रकार के मामलों में, प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षण शक्तियों को प्रयोग किया जा सकता है या जब भी ऐसे आदेश उनके ध्यान में लाए जाते है। हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी का यह कथन कि जैर निगरानी पट्टा पूर्व में जारी पट्टे पर दिया गया है जो कि प्रथदृष्टया प्रश्नगत पट्टे की वैद्यता पर प्रश्नचिन्ह् है। साथ ही में विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि 37 वर्ष के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए जैर निगरानी पट्टे को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह कहना पर्याप्त है कि किसी वैध अधिकार के बिना प्राप्त जैर निगरानी पट्टे को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रास्ते में कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस यह भी उज्र रहा कि जैर निगरानी पट्टे पर तत्कालीन कार्यवाही सरपंच मोतीलाल के हस्ताक्षर नहीं है और यह पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा कभी जारी नहीं किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने इस उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी ने केवल यह कथन किये कि उक्त पट्टे पर हस्ताक्षर तत्कालीन कार्यवाहक सरपंच के नहीं है। चूंकि निगरानी मीमों में वर्णित कथनों को साबित करने का भार अधिवक्ता प्रार्थी का होता है और इस कथन की ताईद में उन्होनें ऐसे कोई साक्ष्य पेश नहीं किये, जिससे यह जाहिर हो सके कि जैर निगरानी पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है और उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया हो। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी का अन्य उज्र कि जैर निगरानी पट्टे की निर्धारित शुल्क 113 रूपये अप्रार्थी ने रसीद संख्या 99 दिनांक 22.05.1987 के जरिये जमा करवाये परन्तु ग्राम पंचायत में दिनांक 22.05.1987 को रसीद संख्या 99 दर्ज ही नहीं है और न ही ग्राम पंचायत में रोंकड बही में दिनांक 22.05.1987 रसीद संख्या 99 दर्ज है। विपक्षी अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी ने जैर निगरानी पट्टे की निर्धारित राशि 113 रूपये रसीद संख्या 99 दिनांक 27.07.1987 के जरिये जमा करवायी। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जैर निगरानी पट्टे एवं ग्राम पंचायत बगडी नगर की रसीद का अवलोकन करने पर यह पाते है कि जैर निगरानी पट्टे की निर्धारित शुल्क 113 रूपये अप्रार्थी संख्या 1 सीता देवी द्वारा ग्राम पंचायत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

बगडी नगर में रसीद संख्या 99 दिनांक 27.07.1987 के द्वारा जमा करवायी गयी, जो कि अधिवक्ता अप्रार्थी के कथनों के अनुरूप है। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी का प्रथम कथन दस्तावेजों की अनुपलब्धता एवं द्वितीय कथन साबित नहीं होनें की दशा में स्वीकार नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह रहा कि जैर निगरानी पट्टा पूर्व में बलवन्तराज पुत्र राजमल जाति ओसवाल खाटेर श्री जैन सेवा समाज बगडी नगर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 15.12.1974 की भूमि पर जारी किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने इस उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी का जैर आराजी पर कब्जा होने से ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों की पालना करते हुये विधिनुसार पट्टा जारी किया। प्रश्नगत पट्टा पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर जारी किया गया है अथवा नहीं, इस कथन की पुष्टि हेतु निम्न तथ्यों का परिक्षण किया जाना उचित होगा –

1. पट्टा संख्या 16 के पडौस उत्तर दिशा में बगडी से सोजत वाली सड़क, दक्षिण दिशा में लाखोटिया जाव व दरवाजा, पूर्व दिशा में वेटनरी अस्पताल व छतरिया एवं पश्चिम दिशा में सरकारी अस्पताल अंकित है। इसी तरह पट्टा संख्या 37 के पड़ौस उत्तर दिशा में सोजत रोड जाने वाली सडक, दक्षिण दिशा में छतरिया, पूर्व दिशा में पशु अस्पताल एवं पश्चिम दिशा में खालसा भूमि है अर्थात् दोनों पट्टों के उत्तर एवं पूर्व दिशा के पडौस एक समान है और यह स्थिति तभी प्रकट हो सकती है जब पट्टा सख्या 37, पट्टा संख्या 16 की भूमि में उत्तर–पूर्व कॉर्नर में स्थित हो। इस तथ्य की पुष्टि एस.एस.जैन बगडी नगर चैरिटेबल ट्रस्ट और मंगलाराम देवासी के बीच हुये बेचाण इकरारनामा दिनांक 11.09.2019 के संलग्न नक्शे से भी होती है।
2. अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया कि "यदि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी किया जाता है तो असल पट्टा पेश करते और रूबरू बलवन्तराज द्वारा अपने पुत्र के नाम पट्टा संख्या 37 जारी नहीं करवाते और उक्त सम्पूर्ण भूमि पर पट्टा जारी होता या जैन समाज का कब्जा होता तो ग्राम पंचायत द्वारा रैन बसेरा अन्न क्षेत्र कृषि भवन जलदाय विभाग का सार्वजनिक ट्यूबवेल व अप्रार्थी सीतादेवी का पट्टा ज़ारी नहीं करती।" अर्थात् अप्रार्थी की यह स्वीकारोक्ति है कि जैर निगरानी पट्टे की आराजी पर प्रार्थी का कब्जा नहीं था और ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्णित पट्टे जारी किये। इसी प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी ने भी अपने पक्ष में यही कथन किये कि प्रार्थी द्वारा जैर आराजी पर एक भूखण्ड रेन बसेरा, अन्न क्षेत्र, हिन्दू सेवा मण्डल तथा कृषि भवन के लिये दिये गये। यहां पर दोनों अधिवक्ता के कथनों में केवल यह विरोधाभास है कि भूमि पर आधिपत्य प्रार्थी का है अथवा अप्रार्थी। इस स्थिति में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत श्री जैन सेवा समिति का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पत्र दिनांक 25.09.2015 में अंकितानुसार "एस.एस.जैन संघ बगडीनगर ने श्री जैन सेवा समिति की जगीन में से 165 वर्गफीट जमीन श्री हिन्दु सेवा मण्डल बगडीनगर को भोजनशाला बनवाने हेतु जमीन देने की स्वीकृति प्रदान की।" अर्थात् श्री जैन सेवा समिति के पत्र में वर्णित तथ्य धरातल पर तभी सम्भव है जब जैर आराजी संस्था की अधिकार सुदा भूमि हो, जो कि भीकमचन्द जैन एवं अशोक चन्द कोठारी द्वारा मंगलाराम देवासी के पक्ष में किये गये बेचाणनामा दिनांक 22.12.2020 के संलग्न नक्शें से प्रमाणित है।

उपरोक्त तथ्यों से यह प्रमाणित है कि ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टा संख्या 16 की भूमि पर ही जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की एवं साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2010 (3) DNJ 1147, 2018 (1) DNJ 111, 2010 (2) RLW (RJ) page 968 भी अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते है। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।"

हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कथन कि प्रार्थी को जैर निगरानी प्रस्तुत करने का कोई हक नहीं था और न ही वे प्रश्नगत पट्टे की आराजी में हितबद्ध व्यक्ति है क्योंकि प्रार्थी अपने जिस पट्टे संख्या 16 का जिक्र कर रहे है वह न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 70/2016 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.17 के द्वारा खारिज हो चुका है। अधिवक्ता अप्रार्थी के उपरोक्त कथनों के सम्बन्ध में हम निम्न तथ्यों का परिक्षण करना उचित समझते है –

1. अधिवक्ता अप्रार्थी का पहला उज्र कि बलवन्तराज पुत्र राजमल जाति ओसवाल खाटेर श्री जैन सेवा समाज बगडी नगर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 16 न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.17 के द्वारा खारिज किया जा चुका है। अधिवक्ता अप्रार्थी का उक्त कथन सही है परन्तु न्यायालय हाजा में प्रार्थी का निर्णय दिनांक 12.12.17 के विरूद्ध रिकॉल का प्रार्थना पत्र पृथक से विचाराधीन है।
2. अधिवक्ता अप्रार्थी का दूसरा उज्र कि प्रार्थी जैर आराजी में हितबद्ध व्यक्ति नहीं है। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का पट्टा संख्या 16 दिनांक 15.12.1974 और जैर निगरानी पट्टा दिनांक 13.08.1987 को जारी हो रखा है अर्थात् जैर निगरानी पट्टा जारी होने से पूर्व ही

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थी का पट्टा जारी हो रखा था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं उभयपक्ष के कथनों के आधार पर यह प्रमाणित हो चुका है कि जैर निगरानी पट्टा पूर्व में जारी पट्टे पर बना हुआ है अर्थात् प्रार्थी के पट्टे सुदा भूमि पर यह पट्टा बना है अतः यहां पर यह कहना समीचीन होगा कि प्रार्थी जैर निगरानी पट्टे से प्रभावित है, जो कि उसे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार साबित करने हेतु पर्याप्त है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किये गये हैं। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 में आबादी भूमि के निस्तारण हेतु निर्मित सामान्य नियमों एवं विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। साथ ही यह प्रमाणित हो चुका है कि जैर निगरानी पट्टा पूर्व से जारी पट्टे की भूमि पर बना है और ग्राम पंचायत में रेकर्ड भी उपलब्ध नहीं है और ग्राम पंचायत के पत्र दिनांक 05.02.2024 के अनुसार जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में नहीं है, जो यह संदेह पैदा करता है कि पट्टा फर्जी या अनाधिकृत रूप से बिना प्रक्रिया का पालन किए जारी हुआ हो, जिसे इस आधार पर भी अमान्य ठहराया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157—पंचायती राज अधिनियम, 1994—धारा 63 व 97—आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की—जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता—प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती—नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं—अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त RRT 2002(1) page 63 के अनुसार (i) Rajasthan Panchayat Rule 1961- Rule 257 to rule 266- The allotment had been made in flagrant violation of the statutory rules, no public purpose/interest would be served by saving them-Moreso, illegality of such striking magnitude cannot be sanctified for any reason whatsoever. (ii) Rajasthan Panchayat Rule 1961 Rule 266-A public policy emodided in the statutory rules mandatorily provides that the allotments must be made by public auction-An exception have been carried out in the said rule that the property can be allotted by private negotiation under rule 266 in exceptional circumstances incorporated therein - There is noting on record to show that before resorting to the powers under

अति. जिला कलेक्टर, पाली

rule 266 the allotting authority had taken recourse to the normal made of allotment provided under the rules, rather it straight way resorted to the provisions of rule 266, i.e. sale be private negotiation which was wholly impermissible. Petition dismissed. ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से जिस भूमि पर उक्त पट्टा जारी किया गया है, उस भूमि पर मिसल संख्या 23 दिनांक 20.03.1974 के द्वारा बलवन्तराज पुत्र राजमल जाति ओसवाल खाटेर श्री जैन सेवा समाज बगडी नगर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 15.12.1974 बना है। इस प्रकार प्रकरण में प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत बगडी नगर द्वारा मिसल संख्या 11 दिनांक 22.05.1987 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 37 दिनांक 13.08.1987 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली